न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान :–नरेन्द्रसिंह पूनिया बनाम विनादे कुमार आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :– 214 / 2024

निर्णय दिनांक :– 02/05/2025

नरेन्द्रसिंह पूनियां पुत्र सतवीरसिंह पूनियां जाति जाट निवासी वार्ड नं. 12एनए कॉलोनी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

प्रार्थी

बनाम

विनोद कुमार पुत्र बीरबलराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 03 तारानगर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :–1. श्री पूर्णमल सांगवान अभिभाषक वास्ते प्रार्थी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू वास्ते अप्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128, एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि **कृषि भूमि खाता संख्या 80, खसरा नं. 614/281 तादादी 1.7197 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम खरतवास** तहसील तारानगर जिला चूरू का खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। उक्त भूमि खरतवास की रोही में स्थित है उक्त खातेदारी भूमि खसरा नं. 614/281 के दक्षिणी दिशा में अप्रार्थी विनोद कुमार का खेत खसरा नं. 613/281 का लगता है। उक्त अप्रार्थी हमेशा सींव बाबत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करता रहता हैं तथा प्रार्थी के खेत की सींव के साथ छेड़छाड़ करता रहता है तथा प्रार्थी के खेत को कम कर प्रार्थी को नुकसान पंहुचाने की फिराक में रहता है अगर प्रार्थी के खेत की जमीन कम हो जायेगी तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस बाबत तहसीलदार तारानगर को पैमाईश के लिये आवेदन किया था जिस पर तहसीलदार तारानगर ने हल्का पटवारी को पैमाईश के आदेश दिये थे। जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 31.05.2024 को पैमाईश का सीमाज्ञान करवाया गया।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

Rajendra

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)